D:\FCI folder 2013\ICDS FCI 2013.doc189

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं,
2, जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांकःप.4(1)(309)पोषा./गेहूं/ICDS/2013–14/108714-746 जयपुर, दिनांक 12.8.16

उप निदेशक,

महिला एवं बाल विकास विभाग,

समस्त।

विषय :— गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम (WBNP) के तहत भारत सरकार से प्राप्त गेंहू के उपयोग के संबंध में।

प्रसंगः— समसंख्यक विभागीय पत्रांक 91383–415 दिनांक 12.07.16 एव 97963–96 दि. 25.07.16

विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा भारत सरकार द्वारा गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम (WBNP) के तहत राज्य सरकार को रियायती दर पर उपलब्ध कराये जा रहे गेहूं का उपयोग स्वयं सहायता समूहों द्वारा लाभान्वितों को उपलब्ध कराये जा रहे पूरक पोषाहार (टेक होम राशन एवं गरम पूरक पोषाहार) के निर्माण में किये जाने हेतु आपके जिले में संचालित स्वयं सहायता समूहों एवं उचित मूल्य की दुकानों की मैपिंग कराने एवं प्रतिमाह आवश्यक गेहू की मात्रा की परियोजनावार सूचना निम्नलिखित प्रारूप में दिनांक 20.07.2016 तक प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था।

क.सं.	परियोजना का नाम	उचित मूल्य की दुकान का नाम व पता	स्वयं सहायता समूह का नाम व पता	प्रतिमाह आवश्यक गेहू की मात्रा किग्रा. में

निरन्तर स्मरण पत्रों के उपरान्त भी आप द्वारा इस सम्बंध में अभी तक कोई सूचना प्रेषित नहीं की गई है।अतः इसें सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए वांछित सूचना दि.16.08.16 तक आवश्यक रूप से ई–मेल द्वारा प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

ग्रामीण और शहरी जिलेवार एफ.पी.एस. दुकानों की सूची खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राज० की वेबसाईट food.raj.nic.in/FairPriceShop.aspx पर उपलब्ध है।

(डॉ. समित शर्मा)
निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर

क्रमांकःप.4(1)(309)पोषा./गेहूं/ICDS/2013–14/108747-109051 जयपुर, दिनांक 12.8.16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समस्त।
2. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर प्रशाखा, मुख्यालय को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु।

(रिमती सरीन)
अति.निदेशक (पोषाहार)